an>

Title: Need to release financial share of Central Government to cooperative banks in Uttar Pradesh and review the licence of the cooperative banks in the State.

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): कोऑपरेटिव बैंकों का देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास तथा किसानों के स्वावलम्बन में बड़ी भूमिका रही है। कुप्रबंधन के कारण उ.प्र. के 16 जिला कोऑपरेटिव बैंक बन्द होने के कगार पर हैं जिसके कारण लाखों किसान प्रभावित हो जाएंगे और उनका हजारों करोड़ रूपया डूब जाएगा। इस संबंध में वर्ष 2004 में भारत सरकार द्वारा प्रो. ए. वैद्यनाथन के नेतृत्व में गठित कमेटी द्वारा निर्धारित पैकेज के अनुसार उ.प्र. कोऑपरेटिव बैंकों के लिए राज्य सरकार द्वारा 265.68 करोड़ रूपये तथा भारत सरकार द्वारा 1545.69 करोड़ रूपये की सहायता दी जानी थी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि दे दी गई किंतु भारत सरकार द्वारा मात्र 623.41 करोड़ रूपये ही जारी किए गए। आर्थिक बदहाली के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार उ.प्र. के 50 बैंकों में से 16 का लाइसेंस रद्द हो गया है। ऐसी स्थिति में इन बैंकों में जमा की गई किसानों की पूंजी न मिलने के कारण किसान बदहाल हैं और सामान्य नागरिकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से ग्रामीण किसानों तथा सामान्य जनता को अत्यधिक सुविधा मिलती रही है। व्यापक जनहित में मेरा विनम्र आग्रह है कि ः-

1. भारत सरकार द्वारा अब तक जारी नहीं किए गए रू. 922.28 करोड़ की राशि अविलंब जारी की जाएं।

2. 35 ए, बी.आर. एक्ट 1949 के तहत जारी दिशा-निर्देश वापस लिए जाएं ताकि लाइसेंस के बिना चल रहे 16 जिला कोऑपरेटिव बैंकों को राहत मिल सके।

3. उक्त 16 बैंकों के लाइसेंस के लिए समय-सीमा बढ़ाई जाए।